न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : राजेन्द्र सिंह चांदावत, आर0ए0एस0

खाद्य सुरक्षा परिवाद सं. 42/2023

प्रार्थी –
राजस्थान सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थीगण –
1. पवन कुमार पुत्र रतनलाल जाति जैन निवासी होली चौक, धोरीमन्ना जिला बाड़मेर (मैसर्स गोयम ट्रेडिंग क0 गुडा रोड धोरीमन्ना बाड़मेर का विक्रेता एवं मालिक)
2. मंगीलाल पुत्र भाखरा राम निवासी सिवाडा जालोर (मैसर्स श्री ममता मिलक डेयरी प्रा0 लि0 खसरा नंबर 1161 गांव हनुमानगढ गोलासन एनएच 15 फोजी रोड तहसील सांचौर जिला जालोर)
3. मैसर्स श्री ममता मिल्क डेयरी प्रा0 लि0 खसरा नंबर 1161 गांव हनुमानगढ गोलासन एनएच 15 फोजी रोड तहसील सांचौर जिला जालोर

परिवाद अन्तर्गत धारा 26(2)(ii) सहपठित धारा 51 एवं 52 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006

उपस्थिति :–

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री गंगाराम जाणी, अधिवक्ता अप्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक : 27.05.2024

1. प्रार्थी की ओर से यह परिवाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा धारा 26 की उप धारा (2)(ii) के उल्लंघन के फलस्वरूप धारा 51 एवं 52 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि अप्रार्थी संख्या 1 के प्रतिष्ठान **मैसर्स गोयम ट्रेडिंग क0 गुडा रोड धोरीमन्ना बाड़मेर** पर निरीक्षण दिनांक **14.03.2023** को खाद्य पदार्थ **घी (ममता ब्राण्ड)** जो 500–500 एमएल वाले 10 टीन पैक एक लकड़ी की रैक में रखे हुए, को मिलावट का होने के शक पर नियमानुसार 500–500 एमएल के चार पैक वास्ते नमूना क्रय किया जाकर नमूना संख्या **पी–1955**

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाडमेर

अंकित कर इसकी जांच खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत कराये जाने हेतु प्रपत्र–5(ए) भरकर अप्रार्थी एवं गवाह व विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त खाद्य पदार्थ **घी (ममता ब्राण्ड)** का नमूना वास्ते जांच खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ **घी (ममता ब्राण्ड)** का नमूना **अवमानक (Substandard)** एवं मिथ्याछाप **(Misbrand)** पाये जाने पर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस सूचना दी गई, जिस पर अप्रार्थीगण द्वारा कोई जवाब/ऐतराज प्रकट नहीं किया। इस पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा यह परिवाद प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माना से दण्डित करने का निवेदन किया है।

2. अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित। अधिवक्ता अप्रार्थी ने लिखित जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि खाद्य निरीक्षक द्वारा एकपक्षीय कार्यवाही किसी भी स्वतंत्र गवाह के अभाव में की गई है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौके पर जो फर्द रिपोर्ट तैयार की गई है वह भी गवाहों को पढकर सुनाई नहीं गई अपितु सीधे ही गवाहों के हस्ताक्षर करवाये गये हैं। अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने यह भी निवेदन किया कि हस्तगत प्रकरण में खाद्य पदार्थ के लिए गये नमूने को सीलबन्द हालात में विधि विज्ञान प्रयोगशाला तक भेजे जाने के संबंध में लिंक साक्ष्य का अभाव है। नमूने की जांच रिपोर्ट में निर्धारित मापदण्डों के अनुसार मामूली अन्तर ही आया है जो कि तापमान पर निर्भर हो सकता है तथा लिये गये सैम्पल के वातावरण एवं प्रयोगशाला तक भेजने की स्थितियों पर निर्भर करता है। अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने यह भी प्रकट किया कि उक्त अन्तर से मानव जीवन के स्वास्थ्य पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ सकता है और न ही जानलेवा साबित होता है। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त उत्पाद में किसी प्रकार का हेरफरे, मिलावट या फेरबदल नहीं किया गया है। लिहाजा अप्रार्थीगण के विरूद्ध उक्त परिवाद खारिज फरमाया जावे।

3. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिवाद का अवलोकन किया एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा कारित अपराध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जुर्माना से दण्डनीय है तथा खाद्य पदार्थों से सम्बन्धित सुरक्षा मानकों के प्रति उदासीनता मानव स्वास्थ्य के प्रति गम्भीर अपराध की श्रेणी में माना गया है। अप्रार्थी संख्या 1 के प्रतिष्ठान से लिये गये खाद्य पदार्थ के नमूना की खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर से प्राप्त नमूना जांच रिपोर्ट दिनांक **28.03.2023** में उक्त खाद्य पदार्थ का नमूना **अवमानक (Substandard)** एवं मिथ्याछाप **(Misbrand)** पाया गया। प्रयोगशाला जांच में **Saponification value**

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाडमेर

205.0 to 235.0 के मुकाबले **237.1** पाई गई है जो कि मानक स्तर की नहीं है। अप्रार्थीगण द्वारा लिखित जवाब प्रस्तुत कर अपने प्रतिरक्षण में कोई ठोस एवं तथ्यपरक जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा उसके व्यवसाय में जिस खाद्य पदार्थ का विक्रय किया जा रहा था, उसकी गुणवत्ता व मानकता के प्रति उनके दायित्व से विमुक्ति का प्रयास किया गया है। अप्रार्थी संख्या 1 के प्रतिष्ठान से लिया गया खाद्य पदार्थ का नमूना **अवमानक (Substandard)** एवं मिथ्याछाप **(Misbrand)** पाया गया है तथा खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं उसके अधीन बनाये गये विनियमों की सम्पूर्ण पालना किया जाना आवश्यक एवं बाध्यकारी है। लिहाजा अप्रार्थीगण के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 एवं 52 के तहत जुर्म प्रमाणित हैं।

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन उपरांत अप्रार्थीगण के विरूद्ध अपराध धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 प्रमाणित होने से अप्रार्थीगण पर संयुक्त रूप से **रूपये 50000/–** का जुर्माना अधिरोपित किया जाता है। अप्रार्थीगण उक्त जुर्माना राशि का बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम पेश करें, जो पेश होने पर सम्बन्धित अधिकारी को राजकोष मे जमा करवाने हेतु भिजवाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।

5. आदेश आज दिनांक 27.05.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेन्द्र सिंह चांदावत)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाडमेर